भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2510
उत्तर देने की तारीख-18/12/2023

सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

†2510. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या उक्त योजना में सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को विशेष रूप से ठाणे में कार्यक्रम-वार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ख): स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से पूरे देश में केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना समग्र शिक्षा शुरू की है। यह योजना तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को समाहित करती है। यह प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूल शिक्षा क्षेत्र का एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में देखती है और यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुसार है।

समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो सके, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। यह योजना दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखी गई है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य: (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना; (ii) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना; (iii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान देना; (iv) बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान पर जोर देना; (v) छात्रों के बीच 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए

समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि आधारित पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र पर जोर देना; (vi) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बढ़ाना; (vii) स्कूली शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतराल को पाटना; (viii) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना; (ix) शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों/राज्य शिक्षा संस्थानों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन; (x) स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में सुरक्षित, परिरक्षित और अनुकूल अधिगम वातावरण एवं मानकों का रखरखाव सुनिश्चित करना और (xi) व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना हैं।

(ग): समग्र शिक्षा के तहत, वार्षिक योजनाएँ संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होती है। फिर इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा पहले अनुमोदित कार्यक्रमों में राज्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता जिले-वार अथवा क्रियाकलाप-वार प्रदान न करके संपूर्ण तरीके से प्रदान की जाती है। वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (दिनांक 30.11.2023 तक) के दौरान महाराष्ट्र राज्य को जारी केंद्रीय निधियां क्रमशः ₹ 693.02 करोड़, ₹ 900.00 करोड़ और ₹ 186.53 करोड़ है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्यात्मक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत समुचित सरकार हैं।

महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रबंध पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, ठाणे जिले (2023-24) के लिए राज्य की वार्षिक योजना में शामिल कुछ पहलें नीचे दी गई हैं:

1) 89138 बच्चों को 534.83 लाख रुपये की निःशुल्क वर्दियां स्वीकृत की गई थीं।
2) 471110 बच्चों को ₹1472.97 लाख की लागत से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें स्वीकृत की गईं थीं।
3) 1225 बच्चों को स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के आयु उपयुक्त प्रवेश के लिए ₹36.75 लाख के व्यय पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
4) 1832 स्कूलों के लिए 578.5 लाख रुपये का वार्षिक कंपोजिट स्कूल अनुदान स्वीकृत किया गया था।
5) 1832 स्कूलों में पुस्तकालय अनुदान ₹30.14 लाख स्वीकृत किया गया था।
6) 1832 स्कूलों में ₹143.3 लाख का खेल अनुदान स्वीकृत किया गया था।
7) बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (निपुण भारत) के तहत ₹391.71 लाख पर 130572 स्कूलों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री अनुमोदित।
8) बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान (निपुण भारत) के तहत ₹7.9 लाख पर 7933 स्कूलों के लिए शिक्षक संसाधन सामग्री/गतिविधि हैंडबुक अनुमोदित
9) विशेष आवश्यकता वाले 1173 बच्चों के लिए सहायता और उपकरण स्वीकृत
10) विशेष आवश्यकता वाली 3528 लड़कियों के लिए वजीफा स्वीकृत
11) कुल 50 प्रयोगशालाएं/कमरे (विज्ञान लैब, कंप्यूटर कक्ष आदि) स्वीकृत
12) कुल 28 शौचालय (लड़के/लड़कियां/सीडब्ल्यूएसएन) स्वीकृत
13) कुल 141 बड़े स्तर की मरम्मत/चारदीवार स्वीकृत

*****